राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा

पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं 08 / 2016
तारीख दायरा 05.02.2016
तारीख आदेश 26.05.2016

प्रार्थी:–	बनाम:	अप्रार्थी:–
ग्राम पंचायत पोमावा जरिए सरपंच श्री कानाराम मीणा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट,1956

–: आदेश :–

दिनांक 26.05.2016

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि जो सरहद मौजा पुराडा पटवार सर्कल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित गत् खसरा नं. 182 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, गत् खसरा नं. 183 रकबा 6 बीघा किस्म स्कूल का मैदान व गत् खसरा नं. 184 रकबा 4 बीघा किस्म कजावा से बने हाल खसरा नं. 388 रकबा 3.25 हेक्टर किस्म गै.मु.आगोर तथा गत खसरा नं. 181 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय से बने हाल खसरा नं. 389 रकबा 0.72 हेक्टर किस्म गै.मु.नाडी जिस पर स्थानीय ग्राम पंचायत के आम लोगों के रहवासी मकान बने हुए है, के बारे में सेटलमेंट विभाग द्वारा किस्म इन्द्राज बाबत् की गई त्रुटि का सुधार करवाकर पूर्व राजस्व रेकर्ड स्थिति अनुसार किस्म को वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाये हेतु प्रार्थना की है। कथित प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि से संबंधित दस्तावेज क्रमशः गत् जमाबंदिया संवत 2024–27 (चार), हाल जमाबंदिया संवत 2069–72 (दो), मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेसमार व ग्राम पंचायत पोमावा के बैठक कार्यवाही दिनांक 05.01.216 इत्यादि प्रतियां पेश हुई।

(2) कि कथित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व वादग्रस्त भूमि बाबत गत् एवं हाल राजस्व रेकर्ड की पुष्टि की है, साथ ही यह भी निवेदन किया है कि ग्राम पुराडा की जमाबंदी संवत 2024–27 अनुसार पुराने खसरा नं. 182 की किस्म बारानी प्रथम, पुराने खसरा नं. 183 की किस्म स्कूल का मैदान व पुराने खसरा नं. 184 की किस्म कजावा दर्ज थी, किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान किस्म को परिवर्तन कर गै.मु. आगोर दर्ज कर दी गई जो गलत है एवं पुराने खसरा नं. 181 की किस्म बारानी–II को परिवर्तन कर गै.मु.नाडी दर्ज कर दी गई जो भी गलत है। जबकि उक्त खसरा नंबरों पर आबादी बसी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जावे।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

(3) कि प्रश्नगत मामले में उपरोक्त वर्णित गत व हाल राजस्व रेकर्ड तथा तहसीलदार सुमेरपुर के जवाब में वर्णित कथनों के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की बखूबी पुष्टि होती है और इस बारे में हमारे द्वारा विधिक विचारण करने के पश्चात् लोक अदालत की भावना से वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तन बाबत् सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि का सुधार कर वादग्रस्त भूमि की किस्म पूर्व राजस्व रेकर्ड स्थिति अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचन तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के कतिपय प्रावधान के तहत स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पुराडा पटवार सर्कल पोमावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नं. 182 की किस्म बारानी प्रथम, गत् खसरा नं. 183 की किस्म स्कूल का मैदान व गत् खसरा नं. 184 की किस्म कजावा दर्ज थी, जिसके सेटलमेंट विभाग ने हाल खसरा नं. 388 रकबा 3.26 हेक्टर बनाये है, परन्तु इसकी किस्म त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में गै.मु. आगोर दर्ज कर दी है तथा इसी प्रकार गत् खसरा नं. 181 की किस्म बारानी द्वितीय थी जिसके सेटलमेंट विभाग ने हाल खसरा नं. 389 रकबा 0.72 हेक्टर बनाये है परन्तु इसकी किस्म भी त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में गै.मु.नाडी दर्ज कर दी है, के बारे में हाल खसरा नं. 388 रकबा 3.26 हेक्टर व हाल खसरा नं. 389 रकबा 0.72 हेक्टर की किस्म परिवर्तन बाबत् सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि का सुधार करते हुए वादग्रस्त भूमि की किस्म पूर्व राजस्व रेकर्ड स्थिति अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पोमावा उक्त आदेश मुजब राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार दुरूस्तीकरण किया जाकर पालना सुनिश्चित करे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 26.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प–पोमावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner